रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 551] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 1981/अग्रहायण 20, 1903
No. 551] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 1981/AGRAHAYANA 20, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1981

का० आ० 894 (अ).— चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में केशोरायपाटन स्थित चीनी का विनिर्माण कर रही श्री केशोरायपाटन सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का प्रबन्ध, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० का० आ० 704 (अ), तारीख 8 दिसम्बर, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) 13 दिसम्बर, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था ,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध 12 दिसम्बर, 1984 और इस तारीख को सम्मिलित करते हुए तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा ,

अतः केन्द्रीय सरकार चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध 12 दिसम्बर, 1984 तक और इस तारीख को सम्मिलित करते हुए, तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा।

[सं० 1-9/81-एन०एस०यू०]

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 11th December, 1981

S.O. 894(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. S.O. 704(E), dated the 8th December, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Shri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Keshoraipatan in the iDstrict of Bundi in the State of Rajasthan was vested in the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), for a period of three years commencing on and from the thirteenth day of December, 1978 ;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the

Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the twelfth day of December, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the twelfth day of December, 1984.

[F. I-9/81-NSU (A)]

का० आ० 895 (अ)—चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) महाराष्ट्र राज्य के बुल्दाना जिले में शंकरनगर स्थित चीनी का विनिर्माण कर रही जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड का प्रबन्ध, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० का० आ० 705 (अ), तारीख 8 दिसम्बर, 1978 द्वारा जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) 13 दिसम्बर, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध 12 दिसम्बर, 1984 और इस तारीख को सम्मिलित करते हुए तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा ;

अतः केन्द्रीय सरकार चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध 12 दिसम्बर, 1984 तक और इस तारीख को सम्मिलित करते हुए, तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा ।

[सं० 1-9/81-एन० एस० यू०]

S.O. 895(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. S.O. 705(E), dated the 8th December, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Jijamata Sahkari Sakhar Karkhana Ltd., manufacture sugar at Shankarnagar in the District of Buldana in the State of Maharashtra was vested in the Central Government under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), for a period of three years commencing on and from the thirteenth day of December, 1978 ;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the twelfth day of December, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the twelfth day of December, 1984.

[F. 1-9/81-NSU (B)]

का० आ० 896 (अ).— चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (3) उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में देवरिया स्थित, चीनी का विनिर्माण कर रही, देवरिया चीनी मिल्स लिमिटेड, का प्रबन्ध भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० का० आ० 277 (अ), तारीख 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) 27 दिसम्बर, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध 26 दिसम्बर, 1984 और इस तारीख को सम्मिलित करते हुए तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा;

अतः केन्द्रीय सरकार चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध 26 दिसम्बर, 1984 तक और इस तारीख को सम्मिलित करते हुए, तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा ।

[सं० 1-9/81-एन० एस० यू०]

S.O. 896(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. S.O. 727(E), dated the 26th December, 1978 (hereinafter referred to as the said Order) the management of the Deoria Sugar Mills Limited manufacturing sugar at Deoria in the District of Deoria in the State of Uttar Pradesh was vested in the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), for a period of three years commencing on and from twenty-seventh day of December, 1978 ;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the Management of the said sugar undertaking shall coninue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the twenty-sixth day of December, 1984.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), the Central Government hereby directs that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the twenty-sixth day of December, 1984.

[F. No. 1-9/81-NSU (C)]

का० आ० 897(अ):— चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (3) उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में बैतालपुर स्थित, चीनी का विनिर्माण कर रही, श्री सीता राम शुगर कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० का० आ० 726(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) 27 दिसम्बर, 1978 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध 26 दिसम्बर, 1984 और इस तारीख को सम्मिलित करते हुए तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा ;

अतः केन्द्रीय सरकार चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध 26 दिसम्बर, 1984 तक और इस तारीख को सम्मिलित करते हुए, तीन वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित बना रहेगा।

[सं० 1-9/81- एन० एस० यू०]

सी० एम० राघवन, संयुक्त सचिव

S.O. 897(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. S.O. 726(E), dated the 26th December, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Shree Sitaram Sugar Co. Ltd., manufacturing sugar at Baitalpur in the District of Deoria in the State of Uttar Pradesh was vested in the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), for a period of three years commencing on and from the twenty-seventh day of December, 1978 ;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the twenty-sixth day of December, 1984.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978) the Central Government hereby directs that the management of the said sugar undertaking shall continue to vest in the Central Government for a further period of three years up to and inclusive of the twenty-sixth day of December, 1984.

[F. No. 1-9/81-NSU/D]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981